



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2010
(BHADRA 11, 1932 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 2nd September, 2010

No. 15—HLA of 2010/46.—The Haryana Private Universities (Second Amendment) Bill, 2010, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 15—HLA of 2010

THE HARYANA PRIVATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) BILL, 2010

A

BILL

further to amend the Haryana Private Universities Act, 2006.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Haryana Private Universities (Second Amendment) Act, 2010.

2. In the Schedule to the Haryana Private Universities Act, 2006, after serial number 4 and entries there against, the following serial number and entries thereagainst shall be added, namely :—

Amendment of
schedule to
Haryana Act 32
of 2006.

“5	Maharishi Markandeshwar University	Village Sadopur, District Ambala”.
----	--	---------------------------------------

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is a need for creation and expansion of educational institutions in the State of Haryana for providing higher education to the children of the State. Existing institutions both in Government and Private Sectors are being expanded and strengthened. Private Sector is an important player in providing higher education in the State. For encouraging the persons/sponsoring bodies with rich experience of running educational institutions "The Haryana Private Universities Act, 2006" has been formulated.

For achieving the objectives enshrined in the Act, a proposal has been formulated for setting up Maharishi Markandeshwar University Village Sadopur, District Ambala (Haryana).

Hence, this bill.

GEETA BHUKKAL,

Education Minister, Haryana.

Chandigarh :

The 2nd September, 2010.

SUMIT KUMAR,

Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2010 का विधेयक संख्या 15-एच० एल० ए०

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय
अधिनियम, 2006, को आगे
संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इक्सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप
में यह अधिनियमित हो : -

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010, संक्षिप्त नाम।
कहा जा सकता है।
2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006, की अनुसूची में, क्रम संख्या 4 तथा
उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी
जाएंगी, अर्थात् : - 2006 के हरियाणा
अधिनियम 32 की
अनुसूची का
संशोधन।

“5.	महर्षि मार्कण्डेश्वर विश्वविद्यालय	गांव सदोपुर, जिला अम्बाला ”।
-----	---------------------------------------	---------------------------------

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

राज्य के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु हरियाणा राज्य में शैक्षणिक संस्थानों की संरचना और विस्तार की आवश्यकता है। सरकारी व निजी क्षेत्र में निवर्तमान संस्थाओं का विस्तार व सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। शैक्षणिक संस्थाएं चलाने में अपार अनुभव वाले व्यक्तियों / प्रायोजक निकायों को प्रोत्साहित करने हेतु हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 बनाया गया।

अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गांव सदोपुर, जिला अम्बाला (हरियाणा) में महर्षि मार्कण्डेश्वर विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव का प्रतिपादन किया गया है।

अतः बिल प्रस्तुत है।

गीता भुक्कल,
शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
2 सितम्बर, 2010

सुमित कुमार,
सचिव।